SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
October – December 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-4

बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक नीतियाँ: भारत के श्रम कानूनों की तुलना

पूनम चौरसिया
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

बाल श्रम आज भी एक वैश्विक सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्या के रूप में विद्यमान है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में अधिक गंभीर है। यह न केवल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बाधित करता है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समझौते और नीतियाँ बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं–अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु) और कन्वेंशन 182 (खतरनाक श्रम के विरुद्ध)। इस शोध पत्र में भारत, अमेरिका और जर्मनी के बाल श्रम विरोधी कानूनों एवं नीतियों की तुलनात्मक समीक्षा की गई है।

भारत जैसे विकासशील देश में बाल श्रम की समस्या अधिक व्यापक है। यद्यपि भारत में संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 21A, 24, 39) और बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (NCLP) जैसे उपाय मौजूद हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन अपेक्षा के अनुसार प्रभावी नहीं है। घरेलू कार्य, ईंट भट्टे, कृषि, निर्माण क्षेत्र तथा छोटे उद्योगों में बाल श्रमिकों की संख्या आज भी बहुत अधिक है। 2016 के संशोधन में कुछ गैर-खतरनाक कार्यों में पारिवारिक सहयोग को अनुमति दी गई है, जो नीति में छूट की तरह देखा गया है। निगरानी और पुनर्वास में भी भारत में अनेक चुनौतियाँ हैं।

अमेरिका में Fair Labor Standards Act (FLSA) 1938 प्रमुख कानून है, जो न्यूनतम आयु, कार्य समय, खतरनाक कार्यों की सूची और स्कूल के दौरान काम पर नियंत्रण से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करता हालांकि, अप्रवासी बच्चों की स्थिति और अवैध

आप्रवासियों के परिवारों में कार्यरत बच्चों के संदर्भ में चुनौतियाँ बनी रहती हैं। जर्मनी में बाल श्रम लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ Youth Labour Protection Act नामक कानून के अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रोक है, और 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सीमित और नियंत्रित रूप से कार्य की अनुमति है, वह भी इस शर्त पर कि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। श्रम निरीक्षक नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है। जर्मनी और अमेरिका में जहां सख्त कानूनी ढाँचे और निगरानी व्यवस्था है, वहीं भारत में कानून तो हैं, पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती है। सामाजिक-आर्थिक विषमता, गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा और जागरूकता की कमी भारत में बाल श्रम के विस्तार के मूल कारण हैं।

बीज शब्द

बालश्रम, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, कानूनी चुनौतियाँ, अंतरराष्ट्रीय तुलना।

उद्देश्य

बाल श्रम एक वैश्विक चुनौती है जो न केवल बच्चों के वर्तमान को प्रभावित करती है, बल्कि उनके भविष्य और समाज के समग्र विकास को भी बाधित करती है। आज के आधुनिक और मानवाधिकार आधारित समाज में भी लाखों बच्चे गरीबी, अशिक्षा, शोषण और असमानता के कारण बाल श्रमिक बनने को विवश हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन, सतत विकास लक्ष्य (SDG 8.7), यूनिसेफ की नीति-निर्देश, और विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए श्रम कानून। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण प्रदान करना है। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ बनाई गई नीतियों और भारत के मौजूदा श्रम कानूनों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करना है। यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 और

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे कानून इस समस्या के समाधान के लिए बनाए गए हैं, फिर भी इनका प्रभाव अपेक्षित रूप में नहीं दिखता।

अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों की नीतियों और कानूनों का विश्लेषण कर यह समझा जाए कि उन्होंने किस प्रकार बाल श्रम पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया है। अमेरिका का Fair Labor Standards Act और जर्मनी का Youth Labour Protection Act कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे भारत सबक ले सकता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर यह अध्ययन यह जानने का प्रयास करेगा कि किन कारकों ने अन्य देशों की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया और भारत में किन सुधारों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस शोध के अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि वैश्विक संधियाँ, जैसे ILO Conventions 138 और 182, भारत के श्रम कानूनों पर क्या प्रभाव डालती हैं और भारत ने इनका अनुपालन किस हद तक किया है। इस विश्लेषण के माध्यम से नीति निर्माताओं को यह सुझाव देने का प्रयास किया जाएगा कि वे बाल श्रम उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ किस प्रकार बना सकते हैं। अंततः, इस शोध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक सुरक्षित, शिक्षाप्रद और गरिमामय बाल्यावस्था प्राप्त हो सके और भारत वैश्विक मानकों की दिशा में ठोस कदम बढ़ा सके।

शोध की आवश्यकता

बाल श्रम एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार से जुड़ी समस्या है, जो न केवल विकासशील देशों में बल्कि कई विकसित देशों में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और गरीबी, अशिक्षा एवं असमानता जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं, वहाँ बाल श्रम एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह देखा गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे बच्चों पर ध्यान देना अधिक कठिन होता है और यही क्षेत्र बाल श्रम का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। भारत में बाल श्रमिकों का एक बड़ा

वर्ग घरेलू कामकाज, निर्माण कार्य, होटल, कारखानों और खेतों में कार्यरत रहता है, जो कानून की दृष्टि से अदृश्य बने रहते हैं।

इस शोध के माध्यम से यह समझना आवश्यक है कि किन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, किन देशों की नीतियों से प्रेरणा ली जा सकती है, और भारत के लिए एक प्रभावशाली व व्यावहारिक नीति निर्माण की दिशा क्या हो सकती है। अतः बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक नीतियों और भारत के श्रम कानूनों की तुलना पर आधारित यह शोध विषय न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक और समयोचित है।

विषयवस्तु का विवरण

यह शोध बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर अपनाई गई नीतियों और भारत में लागू श्रम कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। बाल श्रम, अर्थात ऐसा कार्य जिसमें कोई बच्चा अपने आयु के अनुसार अनुचित या खतरनाक परिस्थितियों में कार्यरत होता है, न केवल उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य को बाधित करता है, बल्कि उसके समग्र विकास और मानवाधिकारों का भी हनन करता है। भारत में बाल श्रम के विरुद्ध संविधान में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत निषेध किया गया है। साथ ही, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे विधिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि इन कानूनों की व्यावहारिक प्रभावशीलता कितनी है, और किस सीमा तक वे बाल अधिकारों की रक्षा करने में सफल रहे हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण और बाल श्रम

बाल श्रम की समस्या आधुनिक समय की ही उपज नहीं है, बल्कि इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। विभिन्न सभ्यताओं में बच्चों से श्रम कराने की परंपरा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से विद्यमान रही है। यद्यपि तब इसे "श्रम" नहीं बल्कि पारिवारिक

उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रशिक्षण या जीविका चलाने का एक अंग माना जाता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी प्रकृति अत्यंत शोषणकारी और अमानवीय होती चली गई। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बाल श्रम की उत्पत्ति, विकास, और उस पर नियंत्रण के प्रयासों का अध्ययन करना आज की नीतियों को बेहतर समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्राचीन काल में बाल श्रम की स्थिति

प्राचीन भारतीय समाज में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ पारिवारिक व्यवसाय सिखाया जाता था, जैसे - खेती, कुटीर उद्योग, दस्तकारी या व्यापार। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण होता था, जिससे बच्चे व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार होते थे। वैदिक काल में 'गुरुकुल' परंपरा के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ गुरुकुल के कार्यों में सहायता भी करते थे, परंतु यह शोषण नहीं माना जाता था। समाज में कार्य विभाजन था, और यह व्यवस्था बच्चों की रुचियों और पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार होती थी।

मध्यकाल और बाल श्रम

मध्यकालीन भारत में बाल श्रम की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही, परंतु मुस्लिम शासकों और बाद में मुगल काल के दौरान विभिन्न हस्तकला उद्योगों, जैसे बुनाई, कशीदाकारी, और कांच के कामों में बच्चों का उपयोग होने लगा। इस दौर में बाल श्रम को एक शिल्प-कौशल के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह काम शोषणकारी रूप लेने लगा था।

औद्योगिक क्रांति और बाल श्रम का विस्तार

18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने बाल श्रम की समस्या को विकराल रूप में जन्म दिया। फैक्ट्रियों, खदानों, और कपड़ा उद्योगों में बच्चों से लंबी अवधि तक, न्यूनतम वेतन पर, असुरक्षित और अमानवीय परिस्थितियों में कार्य लिया जाने लगा। इसका प्रभाव भारत जैसे उपनिवेशों में भी पड़ा, जहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान भारी संख्या में बच्चों को मजदूरी के

कार्यों में लगाया जाने लगा। विशेष रूप से जूट मिलों, चाय बागानों, कोयला खदानों और रेलवे निर्माण कार्यों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी।

विभिन्न देशों में बाल श्रम की न्यूनतम आयु

बाल श्रम एक वैश्विक चिंता का विषय है जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास को प्रभावित करता है। विभिन्न देश अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बाल श्रम के लिए न्यूनतम आयु और उससे संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक मानक तय करते हैं। किंतु इन मानकों को अपनाने और लागू करने की प्रक्रिया अलग-अलग देशों में भिन्नह होती है।

1. भारत

- **न्यूनतम आयु:** 14 वर्ष (कुछ कार्यों में प्रतिबंध), और खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष
- **प्रमुख कानून:**
    1. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
    2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
    3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24
- **प्रावधान:**
    1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी रोजगार में नहीं लगाए जा सक्ते, चाहे वह परिवार के लिए ही क्यों न हो, सिवाय कुछ पारंपरिक गैर-खतरनाक गतिविधियों के।
    2. 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाना अपराध है।
    3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है।

4. दोषी पाए जाने पर नियोक्ताओं के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान

2. अमेरिका

- **न्यूनतम आयु:** 14 वर्ष (सीमित कार्य), 16 वर्ष (अधिकतर कार्य), 18 वर्ष (खतरनाक कार्यों के लिए प्रतिबंध)
- **प्रमुख कानून:**

  Fair Labor Standards Act (FLSA), 1938
- **प्रावधान:**
  1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना प्रतिबंधित है, कुछ अपवाद जैसे मनोरंजन या पारिवारिक व्यवसाय।
  2. 14-15 वर्ष की आयु के बच्चों को सीमित घंटों में कार्य करने की अनुमति है (जैसे स्कूल समय के बाहर, अधिकतम 3 घंटे प्रति दिन)।
  3. 16-17 वर्ष के किशोर अधिकांश कार्यों में संलग्न हो सकते हैं लेकिन खतरनाक कार्यों से वर्जित हैं।
  4. कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होती है।

3. जर्मनी

- **न्यूनतम आयु:** 15 वर्ष (पूर्णकालिक कार्य के लिए), 13-14 वर्ष (सीमित कार्य के लिए)
- **प्रमुख कानून:**

  Jugendarbeitsschutzgesetz (Youth Labour Protection Act), 1976
- **प्रावधान:**
  1. 13-14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता-पिता की अनुमति से कुछ हल्के कार्यों (जैसे ट्यूशन देना, अखबार बाँटना) की अनुमति है।
  2. 15 से 18 वर्ष के किशोरों को विशिष्ट समय और शर्तों के अधीन कार्य की अनुमति है।

3. खतरनाक, रात्रिकालीन और शारीरिक रूप से कठिन कार्यों में किशोरों को नियुक्त नहीं किया जा सकता।
4. स्कूल शिक्षा अनिवार्य होने के कारण काम के घंटे नियंत्रित रहते हैं।

4. यूनाइटेड किंगडम

न्यूनतम आयु: 13 वर्ष (सीमित कार्यों के लिए), 16 वर्ष (पूर्णकालिक), 18 वर्ष (पूर्ण स्वतंत्रता)

- **प्रमुख कानून:**
  1. Children and Young Persons Act, 1933 & 1963
  2. Education Act, 1996
- **प्रावधान:**
  1. 13 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल समय के बाहर कुछ हल्के कार्यों की अनुमति है।
  2. रविवार को काम करने की समयसीमा और छुट्टियों में अधिकतम घंटे तय हैं।
  3. शिक्षा पूरी होने तक पूर्णकालिक कार्य नहीं किया जा सकता।
  4. बच्चों को जोखिम वाले कार्यों से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति आवश्यक है।

5. जापान

- **न्यूनतम आयु:** 15 वर्ष (आवश्यक शिक्षा पूर्ण करने के बाद)
- **प्रमुख कानून:**

  Labour Standards Act, 1947
- **प्रावधान:**
  1. 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना प्रतिबंधित है।
  2. 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को केवल सुरक्षित एवं गैर-रात्रिकालीन कार्यों की अनुमति है।

3. बच्चों को अनिवार्य शिक्षा (9 वर्ष) पूरी करनी होती है।
4. कानून के उल्लंघन पर कंपनी और नियोक्ताओं पर सख्त दंड लगाया जाता है।

6. ब्राज़ील

- **न्यूनतम आयु:** 16 वर्ष (आम कार्य के लिए), 18 वर्ष (खतरनाक कार्य के लिए), 14 वर्ष (Apprenticeship के लिए)
- **प्रमुख कानून:**

  Child and Adolescent Statute (ECA), 1990
- **प्रावधान:**
  1. 14 वर्ष की आयु से बच्चों को प्रशिक्षु के रूप में कार्य करने की अनुमति है।
  2. खतरनाक, अपमानजनक और शोषणकारी कार्यों में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों की नियुक्ति निषिद्ध है।
  3. श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र कार्यबल और न्यायिक प्रक्रिया विद्यमान है।

7. बांग्लादेश

- **न्यूनतम आयु:** 14 वर्ष (आम कार्य के लिए), 18 वर्ष (खतरनाक कार्य के लिए)
- **प्रमुख कानून:**

  Bangladesh Labour Act, 2006
- **प्रावधान:**
  1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकते।
  2. 14-18 वर्ष के किशोरों को केवल प्रमाणन और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कार्य की अनुमति है।
  3. अनेक NGO और अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर बाल श्रम उन्मूलन में कार्यरत हैं।

बाल श्रम कानूनों के उल्लंघन पर विभिन्न देशों की दंडात्मक व्यवस्थाएँ

भारत

प्रमुख कानून:

- बाल श्रम) निषेध एवं विनियमन (अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016)
- भारतीय दंड संहिता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और बाल न्याय) बालों की देखरेख और संरक्षण (अधिनियम

दंडात्मक प्रावधान:

- किसी बच्चे) 14 वर्ष से कम आयु (को रोजगार में लगाने पर:
  - पहली बार दोषी पाए जाने पर: 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
  - दूसरी बार उल्लंघन पर: 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सश्रम कारावास अनिवार्य।
- किशोर) 14-18 वर्ष (को खतरनाक कार्यों में नियुक्त करने पर भी समान दंड लागू होते हैं।:
- पुनर्वास का दायित्व भी नियोक्ता पर है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रमुख कानून:

- **Fair Labor Standards Act (FLSA), 1938**

दंडात्मक प्रावधान:

- बाल श्रम प्रावधानों के उल्लंघन पर:
  - प्रति उल्लंघन $11,000 तक का सिविल जुर्माना।
  - आपराधिक मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।
  - यदि उल्लंघन के कारण किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो $50,000 तक का जुर्माना, और यदि जानबूझकर किया गया हो, तो $100,000 तक।

जर्मनी

प्रमुख कानून:

- **Jugendarbeitsschutzgesetz (Youth Labour Protection Act), 1976**

दंडात्मक प्रावधान:

- 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अवैध रूप से रोजगार में लगाने पर:
  - 25,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - गंभीर उल्लंघनों पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है।

यूनाइटेड किंगडम

प्रमुख कानून:

- **Children and Young Persons Act, 1933 & 1963**
- **Education Act, 1996**

दंडात्मक प्रावधान:

- 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियमों के विरुद्ध कार्य पर लगाने पर:
  - नियोक्ता को 1,000 पाउंड तक का जुर्माना हो सकता है।
  - यदि कार्य से बच्चे की शिक्षा या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो आपराधिक मुकदमा संभव है।
- प्रवर्तन की ज़िम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों) Local Authorities) की होती है।

ब्राज़ील

प्रमुख कानून:

- **Child and Adolescent Statute (ECA), 1990**

दंडात्मक प्रावधान:

- 16 वर्ष से कम बच्चों से कार्य कराना निषिद्ध है) सिवाय प्रशिक्षु के रूप में(।
- उल्लंघन करने वालों पर:
  - जुर्माना और कार्यस्थल का बंद होना।
  - दो से चार साल तक की कैद और श्रमिक अधिकारों की बहाली का आदेश।

बांग्लादेश

प्रमुख कानून:

- **Bangladesh Labour Act, 2006**

दंडात्मक प्रावधान:

- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर:
  - 5000 टका तक जुर्माना।
  - बार-बार उल्लंघन पर अदालत द्वारा दंड बढ़ाया जा सकता है।
- प्रवर्तन अभी भी कमजोर है, और बाल श्रमिकों की संख्या अधिक बनी हुई है।

नेपाल

प्रमुख कानून:

- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

दंडात्मक प्रावधान:

- 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक कार्य कराने पर:
  - 50,000 नेपाली रुपए तक का जुर्माना
  - तीन महीने तक की कैद
  - दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं।
- नेपाल सरकार ILO कन्वेंशन 182 को भी मान्यता दे चुकी है।

चीन

प्रमुख कानून:

- **Labour Law of the People's Republic of China (1994)**
- **Law on the Protection of Minors (2006)**

दंडात्मक प्रावधान:

16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को रोजगार में लगाने पर:

- नियोक्ता को लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।
- भारी जुर्माना और व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

ब्रिटिश शासनकाल और प्रारंभिक सुधार

19वीं सदी के अंत में कुछ सामाजिक सुधारकों और ब्रिटिश प्रशासकों ने बाल श्रम की अमानवीयता को पहचाना और कुछ कानूनों की शुरुआत की। पहला महत्वपूर्ण कानून था "Factories Act, 1881", जिसमें 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए काम करने के घंटे निर्धारित किए गए। बाद में यह कानून 1891, 1911, 1922 और 1934 में संशोधित हुए, जिनमें काम की न्यूनतम आयु और कार्य की प्रकृति पर सीमाएँ तय की गईं। यह सुधार प्रयास सीमित थे, और इनका प्रभाव केवल संगठित उद्योगों तक ही सीमित था।

यह समस्या समाज की संरचनात्मक असमानताओं, आर्थिक दबावों और औद्योगिक शोषण से जुड़ी हुई है। समय के साथ-साथ इसकी प्रकृति बदली है, और इसके उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आज भी यह समस्या अनेक रूपों में विद्यमान है, और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा का प्रसार, और आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। ऐतिहासिक अनुभवों से हम यह सीख सकते हैं कि बाल श्रम केवल एक कानूनी या आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा और न्याय का मूल प्रश्न है।

भारत में बाल श्रम से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

People's Union for Democratic Rights बनाम भारत संघ (1982)

निर्माण कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति को अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना गया। कोर्ट ने बलात् श्रम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)

यह मामला उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में बाल श्रमिकों के शोषण से संबंधित था। कोर्ट ने:

- बच्चों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए।
- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), 23 (बलात् श्रम का निषेध), और 24 (खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम का निषेध) के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया।

M.C. Mehta बनाम तमिलनाडु राज्य (1996)

यह मामला सिवकासी की आतिशबाज़ी फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों के शोषण से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि:

- खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बच्चों की पहचान और उन्हें हटाया जाए।
- प्रत्येक बच्चे के लिए नियोक्ता ₹20,000 का जुर्माना अदा करे, जिसे एक कल्याण कोष में जमा किया जाए।
- बच्चों के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाए या राज्य सरकार ₹5,000 अतिरिक्त सहायता दे।
- बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011)

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि:

- बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें मुक्त किया जाए।
- उन्हें शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

In Re Children in Street Situations

- सड़क पर काम करने वाले बच्चों के लिए विशेष निगरानी उपाय सुझाए गए।
- गैर-खतरनाक कामों में बच्चों की कार्यघंटा 4-6 घंटे तक सीमित रखने एवं 2 घंटे शिक्षा अनिवार्य को निर्देशित किया गया
-

Delhi Action Plan for Total Abolition of Child Labour (2009)

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली विशेष कार्य योजना को स्वीकार किया गया जिसमें बाल श्रमिकों की खोज-बचाव-पुनर्वास योजना स्पष्ट की गई थी

गुजरात सरकार: बाल श्रमिकों की पहचान व कार्रवाई (जनवरी 2020 - अप्रैल 2025)

- राज्य में 4,824 छापों (raids) में 616 बच्चों सहित 455 बाल श्रमिकों को बचाया गया।
- 72.88 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया; 791 आपराधिक मामले दर्ज और 339 FIR हुईं।
- 2016 में हुए संशोधन के बाद छह महीने से तीन वर्ष तक की जेल सज़ा और 20,000-1,00,000 तक जुर्माना लगाया जाने लगा

Pinki व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य (अप्रैल 2025)

- यह मामला संगठित बाल तस्करी से जुड़ा था।
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए कि वे खंड में लंबित बाल तस्करी मुकदमों की स्थिति रिपोर्ट करें और ट्रायल छह महीनों में पूरा करें, यदि आवश्यक हो तो दिन-दर-दिन ट्रायल किया जाए।

  यदि किसी भी स्तर पर निष्क्रियता होती है, तो न्यायालय द्वारा अवमानना (contempt) कार्रवाई की चेतावनी दी गई है

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि भारत ने बाल श्रम की रोकथाम हेतु कानूनी ढांचा और नीति स्तर-पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो वैश्विक नीतियों के अनुरूप हैं। फिर भी, ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक व आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराना, और बाल अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को बढ़ाना, इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु अत्यंत आवश्यक है। केवल कानून पर्याप्त नहीं बल्कि उनके प्रभावी और संवेदनशील अनुपालन से ही बाल श्रम का स्थायी उन्मूलन संभव है। हालाँकि, भारत में बाल श्रम की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, और कमजोर प्रवर्तन व्यवस्था इसके प्रमुख कारण हैं। वहीं, वैश्विक प्रयासों ने कई देशों में सफलता पाई है, विशेषतः

उन देशों में जहाँ बाल अधिकारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्थाएं, सामाजिक सुरक्षा, और समुचित शिक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

वैश्विक स्तर पर ILO और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि)UNCRC) जैसे मंचों ने बाल श्रम को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया है और सदस्य देशों को बाध्य किया है कि वे राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से इसकी रोकथाम करें। ILO कन्वेंशन 138 के तहत बच्चों के लिए न्यूनतम कार्य आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है)हालांकि विकासशील देशों में यह 14 वर्ष हो सकती है । कन्वेंशन (182 के अनुसार, यौन शोषण, तस्करी, मादक पदार्थों से जुड़ा कार्य और खतरनाक उद्योगों में बच्चों का कार्य प्रतिबंधित है। इन नीतियों ने वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम मानक तय किया है जिसके आधार पर सदस्य देश अपनी नीतियाँ बनाते हैं।

संदर्भ सूची

1. V.V. Giri National Labour Institute - *Child Labour in India: A Socio-Legal Perspective*, 2020.
2. Neera Burra - *Born to Work: Child Labour in India*, Oxford University Press, 1995.
3. ILO Publication - *World Report on Child Labour: Economic vulnerability, social protection and the fight against child labour*, 2013.
4. UNICEF Report - *Child Labour and Education - Progress, Challenges and Future Agenda*, 2021.
5. Bajpai, Asha - *Child Rights in India: Law, Policy, and Practice*, Oxford University Press, 2018.
6. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, (2016 संशोधन सहित)
7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act)

8. Indian Constitution, Article 21A, 23, and 24
9. ILO Convention No. 138 (Minimum Age Convention), 1973
10. ILO Convention No. 182 (Worst Forms of Child Labour Convention), 1999
11. United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989
12. M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu, AIR 1997 SC 699
13. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, AIR 1984 SC 802
14. Bachpan Bachao Andolan v. Union of India, (2011) 5 SCC 1
15. Supreme Court Directive on Missing Children & Trafficking, In Re: Exploitation of Children in Orphanages (2021)